



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271650
CG-DL-E-09042026-271650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1706]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1706]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

का.आ. 1774(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 795(अ), दिनांकित 10 मार्च, 2017 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) सं.-565 के किमी 154.900 से किमी 198.698 तक (दावुलापल्ली से मरकापुरम खंड) को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ), दिनांकित 05 मार्च, 2024 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नया रारा-565 {कि.मी. 86.057 से कि.मी. 133.922 तक और कि.मी. 154.900 से कि.मी. 361.327 तक (नागार्जुनसागर- डैम-दावुलापल्ली- मरकापुरम- वग्गमपल्ले- दोरनाला टी जंक्शन खंड) को छोड़कर} और कि.मी. 425.400 से कि.मी. 509.400 तक (पेंचालकोना-येरपेडु खंड) को छोड़कर} को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और और दिनांक 22.02.2019 के का.आ. 980 (अ) द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 के दावुलापल्ली से मरकापुरम 1.200

किमी लंबाई (किमी 194.000 से किमी 195.200 तक) जिसे एनएच 565 से पृथक किया गया है, को छोड़कर खंड के डिजाइन किमी 133.922 से किमी 197.595 (मौजूदा चैनेज किमी 133.922 से 198.698 तक) तक 61.915 किमी (तालिका-2) और 5.580 किमी [0.558 किमी की कुल लंबाई वाली (तालिका-3)] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के साथ प्रतिशत दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के मरकापुर जिले के मिलमपल्ली गाँव में रारा-565 के किमी.163.250 पर	61.915 किमी [संरचना की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (मीटर में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के मरकापुर जिले के मिलमपल्ली गाँव में रारा-565 के किमी.163.250 पर	0.558 किमी [^]	5.580 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

अब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	डिजाईन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	किमी 140.312	किमी 140.387	बड़ा पुल	0.075
2	किमी 140.483	किमी 140.558	बड़ा पुल	0.075
3	किमी 140.807	किमी 140.912	बड़ा पुल	0.105
4	किमी 143.347	किमी 143.482	बड़ा पुल	0.135
5	किमी 148.264	किमी 148.369	बड़ा पुल	0.105
6	किमी 186.290	किमी 186.353	बड़ा पुल	0.063
कुल				0.558 किमी

- गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यक्षीन है।
- राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

- फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
- संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
- सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
- शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
- यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 479.11 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, भावी सुदृढीकरण, क्षमता संवर्धन आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं.आरडब्ल्यू/एनएच-12014/03/2023-24/एपी/जोन-(साउथ-1),ई-231260]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2026

S.O. 1774(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 795(E) dated 10.03.2017, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 154.900 to km 198.698 (Davulapalli to Markapuram section) of National Highway number 565 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India;

Further, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O. No 1052(E) dated 05.03.2024 issued under section 5 of National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted New NH No.565 {excluding from Km 86.057 to Km 133.922 and from km 154.900 to Km 361.327 (Nagarjunasagar- Dam-Davulapally- Markapuram- Vaggampalle- Dornala T Junction Section)} and excluding from Km 425.400 to Km 509.400 (Penchalakona-Yerpedu Section)} of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules,2008 (hereinafter referred to as the “said rules”) and in supersession of the Gazette Notification published vide S.O.980(E) dated 22.02.2019, the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 61.915 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.580 Kms [Table-3] (having total length of 0.558 Kms) on the type of vehicles specified in column(1) of Table 1 below for the use of two lane with paved shoulders of the Davulapalli to Markapuram section of National Highway number NH-565 from design Km 133.922 to Km.197.595 (Existing Chainage from 133.922 to Km 198.698) excluding length of 1.200 km (from km 194.000 to km 195.200) which has been descoped of NH 565 in the state of Andhra Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a Contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type Of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km.163.250 of NH-565 in Millampalli village in Markapur District of the State of Andhra Pradesh	61.915 Km [Excluding length of structures(>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km.163.250 of NH-565 in Millampalli village in Markapur District of the State of Andhra Pradesh	0.558 km.^	5.580 km.	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:

Sl.No	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Km 140.312	Km 140.387	Major Bridge	0.075
2	Km 140.483	Km. 140.558	Major Bridge	0.075
3	Km 140.807	Km. 140.912	Major Bridge	0.105
4	Km 143.347	Km. 143.482	Major Bridge	0.135
5	Km 148.264	Km. 148.369	Major Bridge	0.105
6	Km 186.290	Km. 186.353	Major Bridge	0.063
Total				0.558 Km

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340.00/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-Four Hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 479.11 Cr. The Capital Cost is subject to variation as the activities of Land Acquisition, Utility Shifting, Tree Cutting, Future Strengthening, Capacity Augmentation etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of Capital Cost through user fee realised.

[F. No. RW/NH-12014/03/2023-24/AP/Zone-(South-I), E- 231260]
CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.